रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2005.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 17 मई, 2005/27 वैशाख, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 002, 17 मई, 2005

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–12/2005–लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13–5–2005 को

अनुमोदित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक 10) को वर्ष 2005 के अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

2005 का अधिनियम संख्यांक 17

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 13 मई, 2005 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 5-क का अंत:स्थापन।

"5-क. कार्यसूची.– (1) ग्राम पंचायत का प्रत्येक सदस्य, अपने वार्ड की बाबत, ऐसे वार्ड के सभा सदस्यों के साथ परामर्श से कार्यसूची मद्दें तैयार करेगा और ग्राम सभा की बैठक की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व उसे प्रधान और सचिव को प्रस्तुत करेगा।

(2) कोई विभाग, अन्य अभिकरण या संगठन इसकी मद्दें, यदि कोई हों, ग्राम सभा की बैठक की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व प्रधान और सचिव को प्रस्तुत करेगा।

(3) सचिव, उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राप्त हुई कार्यसूची मद्दों का संकलन करेगा और बैठक की सूचना सहित, उसे ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए , परिचालित करेगा।"।

धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उप-धारा (1), में खण्ड (ग), के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ग-क) ग्राम पंचायत द्वारा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए तैयार की गई योजनाओं, कार्यक्रमों और बजट का अनुमोदन;

(ग-ख) ग्राम पंचायत की योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वियन पर, समाधान हो जाने के पश्चात् खर्च की गई निधियों का उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करना"; और

(ख) उप-धारा (4), के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-

"(5) कृषि, पशुपालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बागवानी, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य, राजस्व और कल्याण विभाग के गांव स्तर के कृत्यकारी, उस ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेंगे, जिसकी अधिकारिता में वह तैनात हैं, और यदि ऐसे गांव स्तर के कृत्यकारी बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से उनके नियंत्रक अधिकारी को मामले की रिपोर्ट करेगी, जो रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे कृत्यकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा और ऐसी रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के बारे में ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित करेगा।"।

धारा 8 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) शब्दों और चिन्ह "और उप-प्रधान" और "उप-प्रधान" जहां-जहां ये आए हैं, का लोप किया जाएगा ; और

(ख) उप-धारा (1), में—

(i) प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु प्रत्येक ग्राम सभा के लिए प्रधान को अपवर्जित करके, सदस्यों की संख्या का अवधारण निम्नलिखित मापदण्ड के अनुसार किया जाएगा:—

(क) 1750 से अनधिक जनसंख्या के लिए .. पांच

(ख) 1750 से अधिक किन्तु 2750 से अनधिक जनसंख्या के लिए .. सात

(ग) 2750 से अधिक किन्तु 3750 से अनधिक जनसंख्या के लिए .. नौ

(घ) 3750 से अधिक किन्तु 4750 से अनधिक जनसंख्या के लिए .. ग्यारह

(ङ) 4750 से अधिक जनसंख्या के लिए तेरह:"; और

(ii) द्वितीय परन्तुक के पश्चात् , निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और भी कि धारा 127 के अधीन शपथ या निष्ठा का प्रतिज्ञान देने या लेने के ठीक पश्चात् ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य, विहित रीति से इसके सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उप-प्रधान निर्वाचित करेंगे।"।

धारा 9 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2), में शब्द "सदस्यों" के स्थान पर "पदाधिकारियों" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

धारा 15 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 15 में,—

(क) शब्दों "दो सौ पचास रुपए", के स्थान पर "एक हजार रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) परन्तुक में शब्दों "एक हजार रुपए" , के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा संशो

धारा 23 का प्रतिस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 23 के स्थान पर, निम्नलिखित, प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"23. **स्थायी समितियों का गठन और कृत्य.**—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत इसके सदस्यों में से, निर्वाचन द्वारा निम्नलिखित स्थायी समितियां गठित करेगी :—

(i) कार्य समिति; और
(ii) बजट समिति।

(2) ग्राम पंचायत द्वारा इसकी बैठक में बहुमत द्वारा यथाविनिश्चित, एक समिति की अध्यक्षता, प्रधान द्वारा और दूसरी की उप-प्रधान द्वारा की जाएगी।

(3) प्रत्येक समिति, यथास्थिति, प्रधान या उप-प्रधान सहित, तीन सदस्यों से गठित होगी।

(4) ग्राम पंचायत के समस्त विकास कार्यों का निष्पादन, कार्य समिति द्वारा, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, किया जाएगा और यदि आवश्यक हो ग्राम पंचायत, ऐसे कार्यों के संपादन का पर्यवेक्षण और मानीटर करने और उसके लेखे प्राप्त करने के लिए उप-समितियों का गठन करेगी।

(5) बजट समिति, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करेगी और उसे ग्राम पंचायत के समक्ष विचार करने और अनुमोदन हेतु रखने के लिए सचिव को प्रस्तुत करेगी।

(6) ग्राम पंचायत, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जैसे उन पर, ग्राम पंचायत द्वारा न्यस्त किए जाएं और अधिक स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी।"।

धारा 8 संशोधन

धारा 78 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 78 की उप-धारा (3) में,-

(क) शब्दों "तीन हजार" के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) प्रथम परन्तुक में, शब्दों "पैंतालीस हजार", के स्थान पर, "बावन हजार पांच सौ", शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ग) द्वितीय परन्तुक में, शब्दों "एक लाख बीस हजार", के स्थान पर, "एक लाख चालीस हजार", शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

9. मूल अधिनियम की धारा 89 की उप-धारा (2) में,— धारा 89 का संशोधन।

(क) शब्दों "बीस हजार", के स्थान पर, "पच्चीस हजार", शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) प्रथम परन्तुक में, शब्दों "दो लाख", के स्थान पर, "दो लाख पचास हजार", शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. मूल अधिनियम की धारा 99 में, उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 99 का संशोधन।

"(4) ग्राम पंचायत निधि से राशि, केवल ग्राम पंचायत के सचिव और प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन, यदि प्रधान के पद की आकस्मिक रिक्ति हो, तो ग्राम पंचायत के सचिव और उप-प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन और, यदि प्रधान और उप-प्रधान दोनों के पदों की समसामयिक रूप से रिक्तियां हो जाएं, तो ग्राम पंचायत के सचिव और ग्राम पंचायत द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ग्राम पंचायत के किसी सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन, निकाली जाएगी।"।

11. मूल अधिनियम की धारा 122 की उप-धारा (1) में,— धारा 122 का संशोधन।

(क) खण्ड (ग), के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) यदि उसने या उसके परिवार के किन्हीं सदस्यों ने, राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी की, या उस द्वारा या उसकी ओर से, पट्टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब कि उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को, उससे बेदखल किया गया है, छ: वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद "परिवार का सदस्य" से पति-पत्नी, उनके पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियां) और दत्तक पुत्र और अविवाहित पुत्री अभिप्रेत है ।"।

(ख) खण्ड (ढ़), के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 विद्यमान पंचायतों के पदाधिकारियों पर प्रभाव नहीं डालेगी"; और

(ग) खण्ड (ण) का लोप किया जाएगा।

धारा 129 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 129 में,—

(क) उप-धारा (1) में, चिन्हों और शब्दों, "या उप-प्रधान", का लोप किया जाएगा और उप-धारा (1), के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1-क) जहां ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से अन्यून द्वारा हस्ताक्षरित, किसी ग्राम पंचायत के उप-प्रधान से अपना पद रिक्त करने की अपेक्षा करने के लिए संकल्प प्रस्तुत करने के आशय का नोटिस दिया जाता है और यदि इसकी साधारण या विशेष बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा जिसकी गणपूर्ति इसके निर्वाचित कुल सदस्यों के तीन-चौथाई से अन्यून है, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव को पारित किया जाता है तो वह उप-प्रधान जिसके विरुद्ध ऐसा संकल्प पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रहेगा ।"; और

धारा 1 संशोधन

(ख) उप-धारा (4) में, कोष्ठक, अंक और शब्द "(1) या", के पश्चात्, "(1-क), या",कोष्ठक, अंक, चिन्ह और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

13. मूल अधिनियम की धारा 145 में,— धारा 145 का संशोधन।

(क) उप-धारा (1) में,—

(i) खण्ड (क), में, शब्द, चिन्ह और अंक "भारतीय वन अधिनियम, 1927", के पश्चात्, "या पंजाब एक्साइज ऐक्ट, 1914 की धारा 61 की उप-धारा (1) के अधीन", शब्द, चिन्ह, कोष्ठक और अंक, अंत:स्थापित किए जाएंगे; और

(ii) खण्ड (ख), के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ग) जहां उसके विरुद्ध की गई शिकायत पर प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया पंचायत निधियों के दुर्विनियोग, दुरुपयोग या गबन का प्रकटीकरण होता है या वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार के लिए दोषी पाया जाता है:

परन्तु यह कि कोई पदाधिकारी, जिसके विरुद्ध खण्ड (क) के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों में आरोप विरचित किए गए हैं, यदि निलंबित किया जाता है, तो सक्षम न्यायालय के अन्तिम विनिश्चय तक निलंबित रहेगा।";

(ख) उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2-क) उप-धारा (1) या (2) के अधीन किसी पदाधिकारी को निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए।";

(ग) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—

"(3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन निलंबन आदेश की रिपोर्ट निलंबन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर, जिला परिषद् के पदाधिकारियों के मामले में, सम्बन्धित मण्डलायुक्त को और

पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मामले में, सम्बन्धित उपायुक्त को की जाएगी, जो तत्पश्चात् ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, धारा 146 के अधीन जांच का आदेश देगा और छः मास के भीतर जांच और कार्रवाई पूर्ण करेगा और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जांच और कार्रवाई के पूरा न होने की दशा में, निलंबन आदेश प्रतिसंहृत किया गया समझा जाएगा और तदनुसार औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा।''; और

(घ) उप-धारा (6) का लोप किया जाएगा।

धारा 146 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 146 की उप-धारा (1) में, शब्दों "राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी", के स्थान पर, "यथास्थिति, पंचायतों के पदाधिकारियों के मामले में, राज्य सरकार, जिला परिषद् के पदाधिकारियों के मामले में, अधिकारिता रखने वाला मण्डलायुक्त और पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मामले में अधिकारिता रखने वाला उपायुक्त" शब्द और चिन्ह, प्रतिस्थापित किए जाएंगे और उप-धारा (1), के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1-क) यथास्थिति, राज्य सरकार, मण्डलायुक्त या उपायुक्त, जांच-रिपोर्ट पर विचार करने पर या यदि वे उचित समझें, कारणों को अभिलिखित करते हुए, निलंबन आदेश प्रतिसंहृत करेगा और किसी पदाधिकारी को हटाने के बजाए, उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सतर्क रहने के लिये चेतावनी दे सकेगा या उसे छः मास की अवधि के लिये पंचायत के किसी कार्य या कार्यवाहियों में भाग लेने से भी विवर्जित कर सकेगा।"।

धारा 153 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 153 में, शब्दों "दो सौ पचास रुपए", के स्थान पर "एक हजार रुपए", शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 154 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 154 में, शब्दों "पचास रुपए", के स्थान पर "एक हजार रुपए", शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 155 का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 155 में, शब्दों "दो सौ पचास रुपए", के स्थान पर "एक हजार रुपए", शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 17 of 2005

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2005

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 13TH MAY, 2005)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2005.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Insertion of section 5-A.

2. After section 5 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), the following new section shall be inserted, namely :—

"5-A. *Agenda.*—(1) Every member of the Gram Panchayat shall, in respect of his ward, prepare agenda items in consultation with the Sabha members of such ward and shall submit the same to the Pradhan and the Secretary at least thirty days prior to the date of meeting of the Gram Sabha.

(2) Any department, other agency or organization shall submit its items, if any, to the Pradhan and the Secretary at least thirty days prior to the date of meeting of the Gram Sabha.

(3) The Secretary shall compile the agenda items received under sub-sections (1) and (2) and shall circulate the same, in the manner as may be prescribed, along with the notice of meeting.".

Amendment of section 7.

3. In section 7 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(c-a) approve plans, programmes and budget, prepared by the Gram Panchayat, for economic development and social justice ;

(c-b) authorise, after being satisfied, issuance of utilization certificate of funds spent on the implementation of the plans, projects and programmes of the Gram Panchayat ;"; and

(b) after sub-section (4), the following sub-section shall be added, namely:—

"(5) The village level functionaries of the Agriculture, Animal Husbandry, Primary Education, Forest, Health and Family Welfare, Horticulture, Irrigation and Public Health, Revenue and Welfare Departments shall attend the meetings of the Gram Sabha in whose jurisdiction they are posted, and if such village level functionaries fail to attend the meetings, the Gram Sabha shall report the matter to their controlling officer through the Gram Panchayat, who shall take disciplinary action against such functionaries within one month from the date of receipt of the report and shall intimate the action taken on such report to the Gram Sabha through the Gram Panchayat.".

Amendment of section 8.

4. In section 8 of the principal Act,—

(a) the words and signs "and an Up-Pradhan" and "Up-Pradhan" wherever these occur, shall be deleted ; and

(b) in sub-section (1),—

(i) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:–

"Provided that the number of members excluding Pradhan, to be assigned to each Gram Sabha, shall be determined on the following scale:—

(a) with a population not exceeding 1750 .. five
(b) with a population exceeding 1750 but not exceeding 2750 .. seven
(c) with a population exceeding 2750 but not exceeding 3750 .. nine
(d) with a population exceeding 3750 but not exceeding 4750 .. eleven
(e) with a population exceeding 4750 .. thirteen:"; and

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that immediately after oath or affirmation of allegiance under section 127 is administered or made, the elected members of a Gram Panchayat shall, in the prescribed manner, elect one of its member to be the Up-Pradhan.".

5. In section 9 of the principal Act, in sub-section (2), for the word "members", the words "office bearers" shall be substituted. Amendment of section 9.

6. In section 15 of the principal Act,— Amendment of section 15.

(a) for the words "two hundred and fifty rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted; and

(b) in the proviso, for the words "one thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

7. For section 23 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:— Substitution of section 23.

"23. *Constitution and functions of Standing Committees.*– (1) Every Gram Panchayat shall, from amongst its members, constitute by election, following Standing Committees:—

(i) Works Committee; and

(ii) Budget Committee.

(2) One Committee shall be headed by the Pradhan and the other by the Up-Pradhan, as may be decided by the Gram Panchayat by majority vote in its meeting.

(3) Each Committee shall consist of three members including the Pradhan or the Up-Pradhan, as the case may be.

(4) All developmental works of the Gram Panchayat shall be executed by the Works Committee, in the manner as may be prescribed, and if considered necessary, the Gram Panchayat may form sub-committees to supervise and monitor performance of such works and to obtain accounts thereof.

(5) The Budget Committee shall prepare the annual budget of the Gram Panchayat and shall submit the same to the Secretary for placing it before the Gram Panchayat for consideration and approval.

(6) The Gram Panchayat may constitute more Standing Committees for performing such other functions as may be entrusted to them by the Gram Panchayat.".

Amendment of section 78.

8. In section 78 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) for the words "three thousand", the words "three thousand five hundred" shall be substituted ;

(b) in the first proviso, for the words "forty five thousand", the words "fifty two thousand five hundred" shall be substituted ; and

(c) in the second proviso, for the words "one lakh and twenty thousand", the words "one lakh and forty thousand" shall be substituted.

Amendment of section 89.

9. In section 89 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) for the words "twenty thousand", the words "twenty five thousand" shall be substituted; and

(b) in first proviso, for the words "two lakhs", the words "two lakhs and fifty thousand" shall be substituted.

Amendment of section 99.

10. In section 99 of the principal Act, for sub-section(4), the following shall be substituted, namely:—

"(4) The amount from the Gram Panchayat Fund shall be withdrawn, only under the joint signatures of the Secretary of the Gram Panchayat and Pradhan, if there is casual vacancy in the office of the Pradhan, under the joint signatures of the Secretary of Gram Panchayat and the Up-Pradhan and, if there are casual vacancies simultaneously in the offices of both the Pradhan and the Up-Pradhan, under the joint signatures of the Secretary of Gram Panchayat and any member of the Gram Panchayat authorised by the Gram Panchayat in this behalf.".

Amendment of section 122.

11. In section 122 of the principal Act, in sub-section (1),—

(a) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) if he or any of his family member(s) has encroached upon any land belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of, the State Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-operative Society unless a period of six years has elapsed since the date on which he or any of his family member, as the case may be, is ejected therefrom or ceases to be the encroacher.

Explanation.—For the purpose of this clause the expression "family member" shall mean the spouse, their son(s), unmarried daughter(s) and adopted son and unmarried daughter ; or" ;

(b) after clasue (n), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that section 11 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2005 shall not have the effect on the office bearers of existing Panchayats."; and

(c) clause (o) shall be deleted.

12. In section 129 of the principal Act,— Amendment of section 129.

(a) in sub-section (1), the signs and words ",or Up-Pradhan" shall be deleted and after sub-section(1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-A) Where a notice of intention to move a resolution requiring the Up-Pradhan of a Gram Panchayat to vacate his office, signed by not less than majority of its total elected members is given and if a motion of no confidence is carried by a resolution passed by two-third majority of elected members present and voting at its general or special meeting, the quorum of which is not less than three-fourth of its total elected members, the Up-Pradhan against whom such resolution is passed shall cease to hold office forthwith."; and

(b) in sub-section (4), after the bracket, figure and word "(1) or", the bracket, figure, sign and words "(1-A) or" shall be inserted.

13. In section 145 of the principal Act,— Amendment of section 145.

(a) in sub-section (1),—

(i) in clause (a), after the words, sign and figures "the Indian Forest Act, 1927", the words, signs, bracket and figures "or under sub-section (1) of section 61 of the Punjab Excise Act, 1914 " shall be inserted ; and

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) where on a complaint made against him the preliminary enquiry *prima-facie* discloses the misappropriation, misutilization or embezzlement of Panchayat funds or he has been found guilty of misconduct in the discharge of his duties :

Provided that any office bearer, if placed under suspension against whom charges have been framed in any criminal proceedings under clause (a), shall remain under suspension till the final decision of the competent court.";

(b) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(2-A) No office bearer shall be placed under suspension under sub-section (1) or (2) unless he has been given an opportunity of being heard.";

(c) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) The order of suspension under sub-section (1) or (2) shall be reported, in the case of office bearers of Zila Parishad, to the Divisional Commissioner concerned, and in the case of office bearers of Panchayat Samiti and Gram Panchayat, to the Deputy Commissioner concerned, within a period of ten days from the date of suspension, who shall, thereafter within ten days from the date of receipt of such report, order enquiry under section 146 and shall complete enquiry and action within six months and in case enquiry and action is not completed within stipulated period, the suspension order shall be deemed to have been revoked and formal order shall be issued accordingly."; and

(d) sub-section (6) shall be deleted.

Amendment of section 146.

14. In section 146 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "The State Government or the prescribed authority", the words and signs "The State Government, in the case of office bearers of Panchayats, the Divisional Commissioner having jurisdiction, in the case of office bearers of Zila Parishad, and the Deputy Commissioner having jurisdiction, in the case of office bearers of Panchayat Samiti and Gram Panchayat, as the case may be," shall be substituted and after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(1-A) The State Government, the Divisional Commissioner or the Deputy Commissioner, as the case may be, may, on consideration of the enquiry report or if it thinks proper, for reasons to be recorded in writing, revoke the suspension order and instead of removing an office bearer, warn him to be vigilant in the discharge of his duties or may also debar him from taking part in any act or proceedings of the Panchayat for the period of six months.".

Amendment of section 153.

15. In section 153 of the principal Act, for the words "two hundred and fifty rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 154.

16. In section 154 of the principal Act, for the words "fifty rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 155.

17. In section 155 of the principal Act, for the words "two hundred and fifty rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted.